8/1/24 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय वकील हाजिर।
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर बाबत पत्रा-
वली स्वारिज करवाये जाने की सूचना दी। अब
इस प्रार्थना पत्र 212 RTA का कोई मतलब नहीं
रह जाता है।
अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA सही
स्तर पर स्वारिज किया जाता है पत्रा-
वली मुताबिक तामील दफ्तर हो।

कृष्णगोपाल
उपखण्ड अधिकारी
डीग

8.1.24

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
कठवाई (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner